

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (जीवाजी)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ ५३१६

दिनांक : १४/१२/११

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार चौधरी यदुनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्त/प्रतिबंध :-

- क्रीड़ा अधिकारी एवं लायब्रेरियन की नियुक्ति 28(17) परिनियम के अन्तर्गत की जावें।
- प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) की जावे।
- इस सत्र के छात्रों के लिये एक लाख की टेक्स्ट बुक्स खरीदे जावे।
- खेल मैदान विकसित किये जावे।

आदेशानुसार  
जीवाजी  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, चौधरी यदुनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संग्रह पत्र व्यवस्था कुलसंचित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा  
कि फैसली अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
आवश्यक लिखा जाए जिससे सविष्ट हो।



प्राप्त : यूनीवॉल्टी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचित,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांकण्ड/सम्बद्धता/2009/ 4396

दिनांक: 11/01/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौथी युवाओं सिंह शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड (07534-230757) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय के आदेश के पालन में पुनः निर्मानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442836)


2. पो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

3. डॉ. सी.चौ. लघाटे, प्राचार्य, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रारंभानों के अनुरूप महाविद्यालय का पत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डेनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं घेन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निरीक्षित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति रक्त निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को रुपय 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार यम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय होनु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निरीक्षित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमसा पर अवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही दिया जाए ज  
कि वित्ती अनुद प्राप्तिकारी के नाम है।  
लम्बविद्या विषय पर वही दूर्ज में पर  
अवहार हुआ हो तो वह क्रांति एवं वित्ती  
अवश्य दिया जाए जिससे उपर्या हो।



फ़ाक्स : दूरीवाली  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फ़ैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/भृषा.वि.प./2011/ ५७२१

दिनांक: २७/८/१२

## // सूचना //

श्री रोहित थुक्ला द्वारा चौधरी यदुनाथ सिंह महाविद्यालय, भिण्ड में छात्र श्री अभिषेक मिश्रा, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री मुकेश जोशी एवं कुमारी खुशबू गुप्ता के परीक्षा फार्म भरवाये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के संबंध में तथ्यों की जांच किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया गया है :-

- प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- प्रो. संजय कुलश्रेष्ठ, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- श्री अरुण चौहान, उपकुलसचिव (सम्बद्धता), जी.वि.वि., ग्वालियर।

समिति से अनुरोध है कि प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन ०७ दिवस के अन्दर भिजवाने की  
व्यवस्था करें।

भवदीय  
  
कुलसचिव

प्रति,

उपरोक्तानुसार सदस्यों की ओर।

उपकुलसचिव(सम्ब.)

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से हो दिया जावे न  
कि किसी अल्प परिविकारी के बारे में।  
लाभावित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुनिचा हो।



ग्राम : गूबीपरिहारी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५९६९

दिनांक: ५।।०६।।१२

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सम्बद्ध चौथी यदुबाब्द सिंह शिक्षा महाविद्यालय, झिञ्ठ को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित छी.एड. पाठ्यक्रम दक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारें प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्दिष्ट समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य और्तिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442756)
- (2) प्रो. सी.पी. शिंदे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमति है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, घरेहर यात्रा, गांधिंशु शैक्षणिक/अशोकनिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आठिनेस तथा पिछले सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशोकनिक स्टॉफ़ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसारें ऑकेत करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। इन समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्लोबलविद्यालयों के प्राचार्यों/संस्था के अध्यक्षों/सचिवों का यह उत्तराधित है कि वे अपने महिलाविद्यालयों का विरीक्षण विधीयत अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी ग्लोबलविद्यालय विरीक्षण हेतु तिथि के बिराटण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम ग्राह तक संयोजक से सम्पर्क बही करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन संबंधित ग्लोबलविद्यालय का विरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय का आवश्यक रूप में जगा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार बही किया जा सकेगा। ना ही ग्लोबलविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जार्ये तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करावें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेश महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय एवं उसी ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधीयत कर म्हाविद्यालय द्वारा विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आद्यक्ष उच्च शिक्षा, सतपुढ़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)